

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3700/2026

Kalpesh Bhagora S/o Shri Hiralal Bhagora, Aged About 24 Years,
R/o Barodpada, Bhatvada, Police Station Sadar, District
Banswara Raj. (Lodged In District Jail Banswara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Jubin Mehta
For Respondent(s)	: Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

21/04/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सदर बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा आहत के जो चोट कारित की गई है, वह साधारण प्रकृति की होना अंकित किया गया है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। जो वीडियो व फोटो की डिटेल् है, वह दिनांक 22.02.2026 की है, जबकि घटना दिनांक 27.01.2026 की होना बताया गया है। फोटोग्राफ्स देरी से लिये जाने से इस मामले में संदेह उत्पन्न होना बताते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। इस मामले में आहत भरत के बयान का अवलोकन किया गया, जिसके मुताबिक प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा मुर्गा काटने के लिए जो धारदार छुरा काम में लिया जाता है, उससे जान से मारने की नीयत से गर्दन पर वार किया गया पर वह नीचे झुक गया जिससे कल्पेश का वार साक्षी के मुंह के जबड़े पर लगा जिससे पूरा जबड़ा फट-सा गया। यह देखकर अशोक मालवीय वहां से घबराकर भागा गया। गवाह कमलेश जैसे-तैसे मुंह पर हाथ रखकर वहां से जान बचाकर अपने घर की ओर भागा। इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त से दफा 27 की सूचना के आधार पर छुरे की बरामदगी हुई है। प्रार्थी-अभियुक्त के कब्जे से लोहे का धारदार छुरा जब्त किया गया है और मौके से सैंपल भी खून के संबंध में उठाये गये हैं। डॉक्टर द्वारा जो अलग से रिपोर्ट चोट प्रतिवेदन पश्चात् दी गई है, उसमें चोटें प्राणघातक होना बताया है। पत्रावली में आहत के फोटोग्राफ संलग्न है। इन सबको देखते हुए इस स्टेज पर आहत के बयान से पूर्व जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J